क़ीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

# मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ-37, अंक – 21 | नवंबर 1-15, 2023 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ-6

## फ़िलिस्तीनी लोगों के जनसंहार के लिए अमरीकी समर्थन की निंदा करें!

**हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केंद्रीय समिति का बयान, 21 अक्तूबर, 2023**

अमरीकी सरकार ने खुलेआम इज़रायल को अपना राजनीतिक और सैनिक समर्थन दिया है। अल अहली अरब अस्पताल पर बमबारी के कुछ घंटों बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने इज़रायल का दौरा किया और यह घोषणा की कि अमरीका अंत तक इज़रायल के साथ खड़ा रहेगा।

अमरीकी साम्राज्यवादियों ने इज़रायल के तट से भूमध्य सागर को दो विमानवाहक पोत भेजे हैं और वहां अत्याधुनिक हथियार भेजे हैं। जब इज़रायल ने सीरिया के हवाई अड्डों पर बमबारी की तो अमरीका मूकदर्शक बनकर खड़ा रहा। अमरीका अरब देशों पर दबाव डाल रहा है कि उन्हें इज़रायली क़ब्ज़ेदारों के ख़िलाफ़ फ़िलिस्तीनी लोगों के जायज़ संघर्ष को आतंकवाद कहकर उसकी निंदा करनी चाहिए। इसके लिए अमरीका उन देशों को धमकी देने के साथ–साथ अन्य तरीक़ों का भी इस्तेमाल कर रहा है। अरब जगत के लोग और देश ऐसा करने से इनकार कर रहे हैं। इन देशों के लोग अपने फ़िलिस्तीनी भाइयों और बहनों के जायज़ संघर्ष को पूरे दिल से समर्थन दे रहे हैं।

गाज़ा में फ़िलिस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ इज़रायल द्वारा जारी युद्ध ने मानवता के ज़मीर को झकझोर कर रख दिया है। यह मानवता के ख़िलाफ़ अपराध है। 17 अक्तूबर को अल अहली अरब अस्पताल पर हुए निर्मम बम विस्फोट में कम से कम 500 डॉक्टरों, नर्सों और मरीजों की मौत हो गई, जिसकी दुनिया भर में निंदा हुई है। 10 दिनों और रातों से अधिक समय से, इज़रायल गाज़ा पर अंधाधुंध बमबारी कर रहा है, घरों, स्कूलों और शरणार्थी शिविरों को निशाना बना रहा है। इन बम विस्फोटों में हजारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं, हजारों घायल हुए हैं। इज़रायल ने गाज़ा के बहुत ही छोटे इलाके में रहने वाले 23 लाख लोगों पर अमानवीय नाकाबंदी लगा दी है। लोग जीवन की सबसे बुनियादी ज़रूरतों – भोजन, पानी, बिजली, ईंधन और चिकित्सा सामग्रियों – से वंचित हो गए हैं।

इज़रायल गाज़ा के प्रशासन को चलाने वाले फ़िलिस्तीनी संगठन हमास को नष्ट करने के नाम पर, इस अमानवीय युद्ध को

शेष पृष्ठ 5 पर

## संयक्त राष्ट्र संघ में गाज़ा में युद्धविराम के पक्ष में भारी मतदान

27 अक्तूबर को, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा ने गाज़ा में मानवीय आधार पर तत्काल युद्धविराम लागू करने के आह्वान के प्रस्ताव के पक्ष में भारी मतदान किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के 120 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, जबकि 14 ने इसके विरोध में वोट किया। 45 देशों ने मतदान में एब्स्टेन (न हां, न ना) किया।

मतदान से पहले अपनी बात रखते हुए, जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफादी ने कहा कि प्रस्ताव के ख़िलाफ़ मतदान करने का मतलब "इस संवेदनहीन युद्ध, इस संवेदनहीन क़त्लेआम को मंजूरी देना" है। प्रस्ताव के ख़िलाफ़ वोट करने वाले देशों में अमरीका और इज़रायल शामिल थे।

प्रस्ताव में "दुश्मनी की समाप्ति के लिए मानवीय आधार पर तत्काल, टिकाऊ और स्थाई युद्ध विराम" का आह्वान किया गया है। यह "फ़िलिस्तीनी नागरिक आबादी के जबरन स्थानांतरण के किसी भी प्रयास को दृढ़ता से खारिज करता है"। यह गाज़ा के लिए मानवीय सहायता बढ़ाने की मांग करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दो हफ़्तों से अधिक समय तक इस पर कोई कार्रवाई करने में विफल रही है, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा ने यह मतदान किया। अमरीका ने सुरक्षा परिषद में अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए किया था कि इज़राइल फ़िलिस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ अपना युद्ध जारी रखे।

संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा का प्रस्ताव गैर–बाध्यकारी है। मगर यह दर्शाता है कि दुनिया भर के लोग फ़िलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। फ़िलिस्तीनी लोग इज़रायल द्वारा, अमरीका के पूर्ण राजनीतिक और सैनिक समर्थन के साथ, शुरू किए गए इस जनसंहारक युद्ध के पीड़ित हैं।

यह चौंकाने वाली बात है कि हिन्दोस्तान की सरकार ने मतदान में एब्स्टेन किया। ऐसा करके हिन्दोस्तान की सरकार ने वास्तव में गाज़ा में फ़िलिस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ इज़रायल द्वारा शुरू किए गए जनसंहारक युद्ध का समर्थन किया है। यह हिन्दोस्तान की जनता की भावनाओं के विपरीत है। हमारे लोग इस युद्ध का तत्काल अंत चाहते हैं। इज़रायली कब्ज़ाकारी ताक़तों से अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने के उत्पीड़ित फ़िलिस्तीनी लोगों के संघर्ष में, हिन्दोस्तान के लोग हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं।

हिन्दोस्तानी सरकार को तत्काल, बिना शर्त, युद्धविराम के पक्ष में स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। उसे संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकांश सदस्य देशों की इस मांग का समर्थन करना चाहिए कि इज़रायल को कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों से पीछे हटकर, 1967 से पहले की सीमाओं पर वापस जाना चाहिए, और फ़िलिस्तीनी लोगों का अपना राज्य होना चाहिए, जिसकी राजधानी पूर्वी येरुशलम में होनी चाहिए। यही इस विवाद के स्थायी समाधान के लिए अनिवार्य शर्त है।

## इज़रायल और फ़िलिस्तीनी लोगों के विषय पर मीटिंग

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के सदस्यों और समर्थकों ने फ़िलिस्तीनी लोगों और इज़रायली राज्य के बीच के विवाद की राजनीति पर चर्चा करने के लिए 22 अक्तूबर को दिल्ली में एक मीटिंग का आयोजन किया।

मीटिंग के आरम्भ में, 1917 की बाल्फोर घोषणा के बाद से पिछले 106 वर्षों में इस विवाद के इतिहास पर विस्तृत प्रस्तुति पेश की गयी। इसके बाद जोश भरी चर्चा हुई। मीटिंग की अध्यक्षता पार्टी के प्रवक्ता कामरेड प्रकाश राव ने की।

2 नवंबर, 1917 को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ब्रिटिश विदेश सचिव बाल्फोर ने घोषणा की थी कि ब्रिटेन, युद्ध के बाद फ़िलिस्तीन में "यहूदियों का आवासीय राष्ट्र" बनाने के लिए काम करेगा। यह घोषणा अमरीका और फ्रांस की रजामंदी से की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में ब्रिटेन ने फ़िलिस्तीन, जो इससे पहले तुर्की साम्राज्य के अधीन था, पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। ब्रिटेन ने फ़िलिस्तीन में यूरोप से आने वाले यहूदियों के प्रवास को बढ़ावा देना शुरू कर दिया।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1947 में फ़िलिस्तीन को दो राज्यों – इज़रायली राज्य और फ़िलिस्तीनी राज्य – में बांटने की योजना बनाई। मई 1948 में इज़रायल राज्य बनाया गया। इज़रायल ने अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए फ़िलिस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ युद्ध शुरू कर दिया, जिसके कारण फ़िलिस्तीनियों को अपनी मातृभूमि से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा।

चर्चा के दौरान, यह स्पष्ट किया गया कि 1948 में इज़रायली राज्य के निर्माण का वास्तविक उद्देश्य उत्पीड़ित यहूदियों को राष्ट्र प्रदान करना नहीं था। वह झूठी धारणा बरतानवी–अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा फैलायी गयी थी। उनका असली मक़सद पश्चिम एशिया में साम्राज्यवाद के हितों को आगे बढ़ाना था। उसका किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं से कोई लेना–देना नहीं था।

ऐसे समय में, जब पुरानी उपनिवेशवादी व्यवस्था समाप्त हो रही थी, तब बरतानवी–अमरीकी साम्राज्यवादी पश्चिम एशिया के उस तेल समृद्ध और रणनीतिक महत्व वाली जगह पर स्थित क्षेत्र, जिसे वे "मध्य पूर्व" कहते थे, पर अपना नियंत्रण बनाए रखना व मज़बूत करना चाहते थे। उन्होंने अरब देशों और लोगों को बांटने तथा अपने अधीन रखने की योजना बनाई और लागू की। फ़िलिस्तीन में इज़रायल नामक एक अत्यधिक हथियारों से लैस राज्य का निर्माण करना, इस योजना का एक केंद्रीय हिस्सा था।

चर्चा के दौरान, इस बात पर बार–बार जोर दिया गया कि फ़िलिस्तीनी लोगों का अपनी मातृभूमि के लिए किया जा रहा संघर्ष, साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ उत्पीड़ित लोगों का एक जायज़ संघर्ष है। यह दो धर्मों के बीच का संघर्ष नहीं है। इसीलिए इसे अमरीका, ब्रिटेन और सभी देशों के साम्राज्यवाद–विरोधी, लोकतांत्रिक सोच वाले लोगों का समर्थन प्राप्त है। पिछले दो हफ़्तों में, लाखों लोग इज़रायल द्वारा गाज़ा पर बमबारी और घेराबंदी के विरोध में तथा संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार फ़िलिस्तीन के निर्माण की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। वे फ़िलिस्तीनी लोगों के जनसंहार को बल देने में अमरीका

शेष पृष्ठ 3 पर

### अंदर पढ़ें


- 1984 में सिखों के जनसंहार की 39वीं बरसी पर 2
- हिन्दोतान पर कौन राज करता है? : पुस्तक पर चर्चा 3
- फ़िलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता प्रकट करने के लिये विश्वव्यापी प्रदर्शन 4

**1984 में सिखों के जनसंहार की 39वीं बरसी :**

# जनसंहार से सबक

**हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय समिति का बयान, 25 अक्तूबर, 2023**

1 नवंबर को 1984 में सिखों के भीषण जनसंहार की 39वीं बरसी है। तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की केंद्र सरकार के प्रमुख नेताओं की अगुवाई में, तीन दिनों तक एक सुनियोजित जनसंहार किया गया था। दिल्ली और कई अन्य शहरों की सड़कें बेरहमी से मार डाले गए सिखों की लाशों से भर गई थीं। अनुमान लगाया गया है कि उन तीन दिनों में 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे।

जनसंहार के बारे में राज्य की ओर से जो कहानी फैलाई गयी है, वह सरासर झूठ है।

राज्य की ओर से फैलाई गयी कहानी उन दिनों की घटनाओं को "दंगा" बताती है। दंगा दो समुदायों के लोगों के बीच एक स्वतःस्फूर्त टक्कर है। नवंबर 1984 में जो हुआ, वह दंगा नहीं था। वह दो समुदायों के लोगों के बीच टक्कर नहीं था। वह राजनीतिक सत्ता पर बैठी हुई शक्तिओं द्वारा किया गया एक क्रूर जनसंहार था। वह हिन्दोस्तान की राजधानी में, दिल्ली पुलिस की निगरानी में हुआ था, जो सीधे केंद्रीय गृह मंत्री को रिपोर्ट करती है। सैन्य बलों के सेवानिवृत्त अधिकारियों, राजनयिकों, संसद के प्रमुख सदस्यों, पत्रकारों और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की लगातार अपील के बावजूद, तत्कालीन गृह मंत्री ने जनसंहार को रोकने के लिए कोई भी क़दम लेने से इनकार कर दिया था।

दिल्ली में स्थित सुप्रीम कोर्ट उस जनसंहार का मूकदर्शक गवाह बना रहा। पिछले 39 वर्षों में, न्यायपालिका ने इस झूठी कहानी को फैलाने में सक्रिय रूप से भाग लिया है कि नवंबर 1984 में जो कुछ हुआ था वह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या पर, लोगों की एक स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया थी। संसद ने जनसंहार की निंदा नहीं की। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जनसंहार को इन शब्दों के साथ उचित ठहराया कि "जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है, तो धरती हिलती है"।

प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही सुरक्षाकर्मियों ने की थी। एक प्रधानमंत्री की उनके ही सुरक्षाकर्मी द्वारा हत्या, सत्ता के हलकों में बेहद तीव्र अंतर्विरोधों को दर्शाता है। इसमें खुफ़िया एजेंसियों और प्रधानमंत्री की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी संभालने वालों की भूमिका की गंभीर जांच की जानी चाहिए थी। इसकी जांच करने की ज़रुरत थी कि क्या वह हत्या बरतानवी–अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा हिन्दोस्तान में अपने रुतबे को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

श्रीमती गांधी की हत्या करने वालों के धर्म पर जानबूझकर रोशनी डालकर, हुक्मरान वर्ग ने अपने आपस–बीच के तीव्र अंतर्विरोधों पर पर्दा डाल दिया। राज्य द्वारा संचालित समाचार प्रसार माध्यम, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो, तथा मुख्य पूंजीवादी समाचार पत्र, सभी श्रीमती गांधी के हत्यारों की धार्मिक पहचान पर ध्यान आकर्षित कर रहे थे। हत्या के लिए सभी सिखों को दोषी ठहराया गया और इसके अलावा, उन पर राष्ट्र–विरोधी होने का आरोप भी लगाया गया। सिखों का जनसंहार करके, मज़दूर वर्ग और लोगों की एकता को तोड़ा गया और हुक्मरान वर्ग के गहरे संकट से लोगों का ध्यान हटाया गया। बरतानवी–अमरीकी साम्राज्यवादियों की भूमिका से ध्यान हटाया गया।

सिखों को देशद्रोही और गद्दार बताने का प्रचार उससे तीन साल पहले शुरू हुआ था, जब अकाली दल ने 1973 के आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को लागू करने के लिए संगठित होना शुरू किया था। राजनीतिक मांगों में नदी के पानी का अधिक हिस्सा, पंजाब को चंडीगढ़ की वापसी और अधिक स्वायत्तता की मांगें शामिल थीं। इन मांगों में पंजाब के किसानों और अलग–अलग तबकों के लोगों की चिंताओं की झलक थी। कुछ अन्य राज्यों में भी सम्पत्तिवान वर्गों द्वारा ज्यादा शक्तियों की मांग उठाई जा रही थी। दूसरी ओर, पूरे हिन्दोस्तान के बाज़ार पर हावी इजारेदार पूंजीपति केंद्र सरकार के हाथों में शक्तियों का और अधिक संकेन्द्रण चाहते थे, ताकि वे देश की सम्पूर्ण भूमि और संसाधनों को निर्बाधित रूप से लूटने में सक्षम हो सकें।

इन परिस्थितियों में केंद्र सरकार ने जानबूझकर अकाली दल की धार्मिक मांगों पर रोशनी डाली और मीडिया के ज़रिये लगातार यह प्रचार किया कि सिख धर्म के लोग हिन्दोस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं। पूरे देश में साम्प्रदायिक ज़हर फैलाया गया। इस बीच, सोवियत संघ के साथ प्रतिस्पर्धा में, बरतानवी–अमरीकी साम्राज्यवादी हिन्दोस्तानी संघ पर अपने क़ब्ज़े को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, उन अशांत हालातों में अपने हितों को आगे बढ़ाने में व्यस्त थे। बरतानवी–अमरीकी साम्राज्यवादियों की खुफ़िया एजेंसियों ने हिन्दोस्तान में गुप्त रूप से विभिन्न विभाजनकारी ताक़तों को प्रोत्साहित किया। साथ ही, उन्होंने हिन्दोस्तानी खुफ़िया एजेंसियों के साथ भी मिलकर योजना बनाई। मार्गरेट थैचर की ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पर सैनिक हमले की योजना बनाने में, इंदिरा गांधी सरकार की सहायता के लिए अपने खुफ़िया एजेंट भेजे।

तत्कालीन केंद्र सरकार ने स्वर्ण मंदिर पर सेना के हमले को इस खुलेआम झूठ के साथ उचित ठहराया कि स्वर्ण मंदिर के अंदर डेरा डाले हुए सिख पूरे देश में हिंदुओं के बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक जनसंहार करने की योजना बना रहे थे। वास्तव में, केंद्र सरकार ने हिटलर के जर्मनी की उस पद्धति को अपनाया, जिसे उसके प्रचार मंत्री गोएबल्स ने प्रसिद्ध किया था, कि एक झूठ को अगर हज़ार बार दोहराया जाये तो अंततः लोग उसे सच मानने लगते हैं।

39 वर्षों से लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार श्रीमती गांधी की हत्या और 1984 के जनसंहार के पीछे की सच्चाई को सामने लाये। लोग जानना चाहते हैं कि जनसंहार से पहले के हफ़्तों और महीनों में और उन तीन दिनों और रातों के दौरान सत्ता के गलियारे में क्या गुज़र रहा था। केंद्रीय मंत्री मंडल व गृह मंत्रालय में क्या चर्चा हुई थी और खुफ़िया एजेंसियों की क्या भूमिका रही? बरतानवी–अमरीकी साम्राज्यवादियों की क्या भूमिका थी?

पिछले 39 वर्षों में केंद्र की किसी भी सरकार ने 1984 के जनसंहार के पीछे का सच लोगों के सामने लाने की कोशिश नहीं की है। एक के बाद एक, सभी सरकारों की प्रतिक्रिया जांच आयोग गठित करने की रही है। इन आयोगों ने जनसंहार को आयोजित करने में केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय व राज्य की विभिन्न शाखाओं की भूमिका को छिपाया है।

इस सुनियोजित रूप से सच के छिपाए जाने के पीछे हुक्मरान वर्ग और उसके पूरे राज्य तंत्र का हाथ स्पष्ट होता है। जबकि कांग्रेस पार्टी और उस समय सत्ता के प्रमुख पदों पर बैठे अधिकारियों ने उसे अंजाम दिया था, वह जनसंहार सम्पूर्ण हुक्मरान वर्ग की सेवा में किया गया था। हुक्मरान वर्ग ने अपने आपस के अंतर्विरोधों को सुलझाने तथा मज़दूर वर्ग और मेहनतकश जनता की एकता को तोड़ने के लिए जनसंहार को आयोजित किया था।

सच्चाई का इस प्रकार छिपाया जाना आकस्मिक नहीं था। ऐसा जानबूझकर किया गया था। हुक्मरान वर्ग और उसकी राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहती हैं कि यह सच्चाई सामने आये कि श्रीमती गांधी की हत्या किसने आयोजित की थी और सिखों का जनसंहार क्यों किया गया था। वे अपने आपस–बीच बढ़ते अंतर्विरोधों को हल करने तथा मज़दूरों और किसानों की एकता को तोड़ने के लिए उन्हीं तरीक़ों का सक्षमता से इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारे लोगों के साथ राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा और राजकीय आतंक की बार–बार हो रही जघन्य घटनाएं – 2002 में गुजरात में, 2013 में मुजफ्फरनगर में, 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में और कई अन्य ऐसी घटनाएं – इसकी पुष्टि करती हैं।

हमारे देश के लोगों ने 2020 और 2021 के दौरान किसान आंदोलन के समय, इसे फिर से देखा था। केंद्र सरकार ने पूरे किसान आंदोलन को बदनाम करने और उसे ख़त्म करने तथा मज़दूरों व किसानों की एकता को तोड़ने के लिए, पंजाब के किसानों को अलगाववादी और राष्ट्र–विरोधी के रूप में दर्शाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इजारेदार पूंजीपतियों द्वारा नियंत्रित मीडिया ने इस झूठ को फैलाने के लिए लगातार प्रचार किया था। मज़दूरों और किसानों को यह श्रेय जाता है कि वे इस रणनीति का शिकार नहीं बने।

1984 के जनसंहार के सबक और उसके बाद से चल रहे सांप्रदायिक हिंसा के ख़िलाफ़ संघर्ष के सबक संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किये जा सकते हैं :

(1) सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को "दंगे" कहा जाता है ताकि उनके लिए लोगों को दोषी ठहराया जा सके और इस सच्चाई पर पर्दा डाला जा सके कि सत्ता में बैठे लोग ही ऐसे अपराधों को आयोजित करने के दोषी हैं;

(2) सांप्रदायिक हिंसा हुक्मरान सरमायदार वर्ग और उसके राजनीतिक दलों के हाथों में मज़दूरों, किसानों और दूसरे उत्पीड़ित लोगों की एकता को तोड़ने का एक हथकंडा है;

(3) हमें राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के उद्देश्य से सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक हिंसा के ख़िलाफ़ संघर्ष को तेज़ करना होगा, ताकि सरमायदार वर्ग की हुकूमत की जगह पर मज़दूरों, किसानों और सभी मेहनतकशों की हुकूमत स्थापित की जा सके। सिर्फ ऐसा करके ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि जीवन का अधिकार, ज़मीर का अधिकार और अन्य सभी मानव अधिकारों व लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं होगा और किसी के साथ उसकी आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा।

http://hindi.cgpi.org/24202

**नवंबर 1984 में जो हुआ, वह दंगा नहीं था। वह दो समुदायों के लोगों के बीच टक्कर नहीं था। वह राजनीतिक सत्ता पर बैठी हुई शक्तिओं द्वारा किया गया एक क्रूर जनसंहार था। वह हिन्दोस्तान की राजधानी में, दिल्ली पुलिस की निगरानी में हुआ था, जो सीधे केंद्रीय गृह मंत्री को रिपोर्ट करती है। सैन्य बलों के सेवानिवृत्त अधिकारियों, राजनयिकों, संसद के प्रमुख सदस्यों, पत्रकारों और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की लगातार अपील के बावजूद, तत्कालीन गृह मंत्री ने जनसंहार को रोकने के लिए कोई भी क़दम लेने से इनकार कर दिया था।**


**मज़दूर एकता लहर का वार्षिक शुल्क और अन्य प्रकाशनों का भुगतान आप बैंक खाते और पेटीएम में भेज सकते हैं**

**आप वार्षिक ग्राहकी शुल्क (150 रुपये) सीधे हमारे बैंक खाते में या पेटीएम क्यूआर कोड स्केन करके भेजें और भेजने की सूचना नीचे दिये फोन या वाट्सएप पर अवश्य दें।**

**खाता नाम**–लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
**बैंक ऑफ महाराष्ट्र**, न्यू दिल्ली, कालका जी
**खाता संख्या**–20066800626, **ब्रांच नं.**–00974
IFSCode: MAHB0000974, मो.–9810167911
वाट्सएप और पेटीएम नं.-9868811998, email: mazdoorektalehar@gmail.com

# "हिन्दोतान पर कौन राज करता है?" शीर्षक वाली पुस्तक पर चर्चा

सितंबर और अक्टूबर के दौरान, हिन्दोस्तान और विदेशों में, कई स्थानों पर हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के सदस्यों और समर्थकों द्वारा आयोजित बैठकों में, हाल ही में प्रकाशित, "हिन्दोस्तान पर कौन राज करता है?" शीर्षक वाली पुस्तक पर चर्चा की गई। चर्चा ने इस विषय की महत्ता को स्पष्ट किया – एक ऐसा विषय, जिस पर, लोगों से सच्चाई छुपाने के लिए, लोगों के बीच काफी भ्रम फैलाया गया है।

यह सुनना आम बात है कि आज देश में भाजपा का राज है और इससे पहले कांग्रेस पार्टी राज कर रही थी। यह पुस्तक इस हक़ीक़त को उजागर करती है कि हिन्दोस्तान पर पूंजीपति वर्ग का शासन है। पूंजीपति वर्ग में वे सभी लोग शामिल हैं जिनका उत्पादन के साधनों पर अपनी निजी संपत्ति के रूप में कब्ज़ा है और जो पूरी तरह से दूसरों के श्रम पर निर्भर हैं, और जो अपनी आमदनी मुनाफे, ब्याज या किराए के रूप में अर्जित करते हैं। इस वर्ग का नेतृत्व लगभग 150 इजारेदार पूंजीवादी घरानों द्वारा किया जाता है। भाजपा, कांग्रेस पार्टी और कई अन्य पार्टियां इसी पूंजीपति वर्ग का हिस्सा हैं और इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं।

हालांकि ऐसा लगता है कि सरकार चलाने वाली पार्टी ही देश का एजेंडा तय कर रही है और सभी उच्चतम स्तर पर लिए जाने वाले अहम् फैसले ले रही है, पर हक़ीक़त में, उस पार्टी और उसके मंत्रिमंडल के पीछे, देश का पूंजीपति वर्ग खड़ा है, जिसका नेतृत्व इजारेदार पूंजीपति कर रहे हैं। इजारेदार पूंजीपतियों के नियंत्रण में रहने वाले अनेक *थिंक टैंक*, रिसर्च फाउंडेशन और अन्य संस्थान, देश के कानून और नीतियां बनाने में एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

पूंजीपति वर्ग की राजनीतिक पार्टियां लगातार यह गलत धारणा फैलाती हैं कि हिन्दोस्तानी राज्य, समाज के सभी वर्गों और स्तरों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन मार्क्सवादी लेनिनवादी विज्ञान हमें सिखाता है कि देश का राज्य, केवल वर्ग–हुकूमत का ही एक अंग है। यह पुस्तक दिखाती है कि आजादी के बाद से हिन्दोस्तानी राज्य किस प्रकार से पूंजीपति वर्ग की हुकूमत का एक अंग रहा है।

इस पुस्तक का पहला अध्याय, हिन्दोस्तान के शासक वर्ग की पहचान और चरित्र–चित्रण पर केंद्रित है। चर्चा–बैठकों में सहभागियों ने इस अध्याय में प्रस्तुत किये गए अनेक तथ्यों और आंकड़ों की सराहना की, जिनके द्वारा हम, उन लोगों को पहचान सकें जो वास्तव में देश का एजेंडा निर्धारित करते हैं और जिनका हिन्दोस्तान की तक़दीर निर्धारित करने पर नियंत्रण है। इस वर्ग के ऐतिहासिक विकास की व्याख्या से, सहभागियों को यह समझने में मदद मिली कि हिन्दोस्तानी पूंजीपति वर्ग कैसे एक शासक वर्ग के रूप में उभरा और उसने कैसे लगातार अपनी ताक़त को मजबूत किया।

ब्रिटिश शासन काल के दौरान, हिन्दोस्तानी पूंजीपति वर्ग का नेतृत्व बड़े औद्योगिक घरानों ने किया, जो उपनिवेशवादी व्यवस्था से लाभान्वित हुए। हालांकि इन औद्योगिक घरानों के ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग के साथ कुछ मुद्दों पर कड़े मतभेद थे, लेकिन दोनों का सांझा लक्ष्य, हर कीमत पर हिन्दोस्तान में क्रांति को रोकना था। उन्होंने, हिन्दोस्तानी लोगों के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष का इस्तेमाल, सौदेबाज़ी के एक साधन के रूप में, ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग के साथ बातचीत के माध्यम से, इन विरोधाभासों को हल करने की कोशिश की।

पुस्तक का पहला अध्याय समझाता है कि कैसे, आज़ादी के बाद से, पूंजीवाद के विकास के द्वारा, इजारेदार पूंजीवादी घरानों के हाथों में पूंजी का संकेन्द्रण बहुत अधिक हो गया है। अनेक आंकड़ों के हवाले से दर्शाया गया है कि अर्थव्यवस्था की लगभग सभी शाखाओं पर इजारेदार पूंजीपति घरानों का नियंत्रण है। वे बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को भी नियंत्रित करते हैं। वे इस समय वैश्विक खिलाड़ी बन गए हैं और विदेशों में भी अपने बाज़ार का विस्तार कर रहे हैं। इस अध्याय में, एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकलता है कि हिन्दोस्तानी पूंजीपति वर्ग अपने वैश्विक लक्ष्यों और मंसूबों के साथ अब एक साम्राज्यवादी पूंजीपति वर्ग के रूप में विकसित हो गया है। यह अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए. अन्य साम्राज्यवादियों के साथ, सहयोग और प्रतिस्पर्धा करता है।

पुस्तक का दूसरा अध्याय, इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे पूंजीपति वर्ग, चुनाव और बन्दूक (बुलेट और बैलेट), दोनों, के माध्यम से शासन करता है। यह समझाता है कि कैसे हिन्दोस्तानी पूंजीपति वर्ग, हक़ीक़त में तमाम ऐसे संस्थानों और तरीकों के माध्यम से शासन करता है जिनका इस्तेमाल ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा किया जाता था। शासक वर्ग और उसकी पार्टियों ने, "फूट डालो और राज करो" की पद्धति को और भी कारगर बना लिया है, जिसमें सांप्रदायिक हिंसा का आयोजन और जातिगत–पहचान को कायम रखना और मजबूत करना भी शामिल है।

पूंजीपति वर्ग, अपना शासन बनाए रखने के लिए, हिन्दोस्तानी राज्य की सशस्त्र शक्ति पर निर्भर है। समय–समय पर चुनाव की व्यवस्था, पूंजीपति वर्ग की क्रूर तानाशाही को छिपाने का एक साधन है। पूंजीपति वर्ग इस चुनावी प्रक्रिया पर भी रोक लगाता है जब उसके शासन को कोई गंभीर ख़तरा हो, जैसा कि 1975–77 के आपातकालीन शासन के दौरान किया गया था। हिन्दोस्तान का इतिहास दिखाता है कि उसके एजेंडे को लागू करने में, यदि कोई बाधा उत्पन्न करता है, तो पूंजीपति वर्ग के पास ऐसे यन्त्र हैं जिनसे उस बाधा से तुरंत छुटकारा पाया जा सकता है, जैसे कि, किसी भी निर्वाचित राज्य सरकार को तुरंत बरखास्त किया जा सकता है और केंद्रीय शासन लागू किया जा सकता है।

बैठकों में सहभागियों ने इस अध्याय में प्रस्तुत किया गए आंकड़ों की सराहना की, जो स्पष्ट दिखाते हैं कि कैसे इजारेदारी पूंजीपति चुनावी परिणामों को प्रभावित करने के लिए अपनी धन–शक्ति (मनी पॉवर) का उपयोग करते हैं। वे मीडिया पर अपने नियंत्रण, लोगों के मोबाइल फोन तक अपनी पहुंच के साथ–साथ, वोटों की गिनती में भी धांधली का, इस्तेमाल करते हैं। जबकि लोगों के बीच, यह भ्रम फैलाया गया है कि लोगों ने, अपनी पसंद की पार्टी को चुना है, हक़ीक़त में ये इजारेदार पूंजीपति हैं जो अपनी पसंद की पार्टी को, कार्यकारी–शक्ति सौंपने के लिए, चुनावी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं।

पुस्तक में एक अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी यह है कि पूंजीपति वर्ग, एक या एक से अधिक पार्टियों को, सरकार चलाने वाली पार्टी के विश्वसनीय विकल्प के रूप में पेश करने के लिए तैयार करता है। जब सत्तारूढ़ पार्टी लोगों की नजरों में बदनाम हो जाती है, तो पूंजीपति, उसके स्थान पर, अपनी किसी अन्य विश्वसनीय पार्टी को लाने की योजना बनाते हैं, ताकि उनका एजेंडा वैसे ही लागू हो सके और लोगों को ऐसा आभास भी हो कि कुछ बदल गया है।

इन बैठकों में हुई चर्चा ने इस हक़ीक़त को स्पष्ट तरीके से उजागर किया कि पूंजीपति वर्ग प्रतिद्वंद्वी पूंजीपति पार्टियों के बीच तथाकथित बड़ी लड़ाई में, लोगों को, इस या उस पार्टी का पक्ष लेने के जाल में फंसाने की कोशिश करता है। असली बड़ी लड़ाई तो पूंजीपति वर्ग और मज़दूर वर्ग के बीच है। यह पूंजीवाद की पुरानी व्यवस्था, जो ख़तरनाक रूप से संकटग्रस्त हो गई है, और समाजवाद की नई व्यवस्था, जो जन्म लेने के लिए चीख रही है, इस दोनो के बीच है।

बैठकों में चर्चाएं, इस बात को दोहराते हुए समाप्त हुईं कि यह पूंजीपति वर्ग ही है जो हिन्दोस्तान पर राज कर रहा है। पूंजीपति वर्ग के राज को, मज़दूरों और किसानों के राज में, बदलने के लिए संगठित होने की दिशा में पहला कदम, इस हक़ीक़त को पहचानना है।

http://hindi.cgpi.org/24178

## इज़रायल और फ़िलिस्तीनी लोगों के विषय पर मीटिंग

पृष्ठ 1 का शेष

की भूमिका की निंदा कर रहे हैं। गौरतलब है कि अमरीका और दुनिया के कई देशों के यहूदी लोग इन्हीं मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। इज़रायल के अदंर भी लोग अपने शासकों द्वारा अपनाए गए रास्ते पर सवाल उठा रहे हैं।

चर्चा में इज़रायल और फ़िलिस्तीनी लोगों के बीच विवाद के "दो–राज्य समाधान" के औचित्य को भी समझाया गया। शुरू में कई अरब राज्यों ने इज़रायल राज्य को मान्यता देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इज़रायल की स्थापना फ़िलिस्तीनी लोगों के अपनी मातृभूमि पर अधिकार को नकार कर की गयी थी। लेकिन जो यहूदी लोग इज़रायल जाकर बसे थे, उन्होंने दुनिया के किसी और भाग में उन पर हो रहे उत्पीड़न से बचने के लिए ऐसा किया था। वे खुद पीड़ित थे, जिनके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी।

1967 और 1973 में अरब–इज़रायल युद्धों के बाद, जिनमें इज़रायल ने पूरे फ़िलिस्तीन पर क़ब्ज़ा कर लिया था, अरब राज्य इस विचार पर एकमत हुए कि फ़िलिस्तीनी लोगों की समस्या का समाधान इज़रायली राज्य के साथ–साथ, फ़िलिस्तीनी राज्य की स्थापना करना था। 1974 में, "फ़िलिस्तीन के मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान" पर संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रस्ताव में दो राज्यों, इज़रायल और फ़िलिस्तीन, को सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के अंदर एक साथ रहने का आह्वान किया गया था। उस प्रस्ताव में यह निर्धारित किया गया था कि फ़िलिस्तीनी राज्य की सीमाएं 1967 से पूर्व, यानी इज़रायल द्वारा अतिरिक्त फ़िलिस्तीनी भूमि पर जबरन क़ब्ज़ा करने से पूर्व, की स्थिति पर आधारित होंगी।

1988 में, फ़िलिस्तीनी मुक्ति संगठन (पी.एल.ओ.) ने इज़रायल के अस्तित्व के अधिकार को मान्यता दी। परन्तु, पिछले 35 वर्षों में, इज़रायल ने फ़िलिस्तीनियों के अपने राज्य को स्थापित करने के अधिकार को मान्यता नहीं दी है। इसके विपरीत, इज़रायल ने 1967 के युद्ध के बाद फ़िलिस्तीनी भूमि पर बस्तियां स्थापित करके, अपने कब्जे वाले क्षेत्रों पर आक्रामक रूप से अपने उपनिवेशवादी नियंत्रण को मज़बूत करने की प्रक्रिया जारी रखी है। इज़रायल ने फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित सभी प्रस्तावों का खुलेआम उल्लंघन किया है।

चर्चा के दौरान यह बार–बार स्पष्ट किया गया कि संयुक्त राज्य अमरीका और उसकी नीति इस मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान में सबसे बड़ी बाधा रही है और अभी भी ऐसा ही है। अमरीका ने लगातार इज़रायली राज्य की आक्रामक और नस्लवादी नीतियों का समर्थन किया है। अमरीका ने इसके शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्तुत किए गए हर प्रस्ताव को वीटो कर दिया है।

सभा में कुछ प्रतिभागियों ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि इस क्षेत्र में इस हिंसापूर्ण विवाद को लंबा खींचना न केवल अमरीकी साम्राज्यवाद के भू–राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के आर्थिक हितों को भी पूरा करता है। यह अमरीकी सैन्य–औद्योगिक परिसर की इजारेदार कंपनियों के हितों की सेवा करता है, जो सामूहिक विनाश के हथियारों के उत्पादन और बिक्री से भारी मुनाफ़ा कमाते हैं।

इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, इस सवाल का जवाब देते हुए, कामरेड प्रकाश राव ने बताया कि लोगों के सामने सच्चाई को स्पष्ट करना तथा पश्चिमी साम्राज्यवादी मीडिया व हिन्दोस्तानी मीडिया के कई चैनलों द्वारा फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का मुकाबला करना महत्वपूर्ण है। फ़िलिस्तीनी लोगों के वीरतापूर्ण मुक्ति संघर्ष को आतंकवाद के रूप में दर्शाया जा रहा है, जबकि इज़रायल राज्य के आतंकवादी कारनामों को "आत्मरक्षा" बताया जा रहा है। उन्होंने आतंकवाद से लड़ने के नाम पर इज़रायली राज्य द्वारा किए जा रहे जनसंहार के ख़िलाफ़, फ़िलिस्तीनियों के अपनी मातृभूमि को स्थापित करने के अधिकार के समर्थन में, बड़े पैमाने पर दुनिया भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को मज़बूत करने के महत्व पर जोर दिया।

मीटिंग के अंत में प्रतिभागियों ने यह संकल्प प्रकट किया कि हमें सभी प्रगतिशील और लोकतांत्रिक ताक़तों के साथ एकजुट होकर, अमरीका की अगुवाई में इज़रायल और उसके समर्थकों को रोकने के लिए संघर्ष करना होगा।

http://hindi.cgpi.org/24213

# फ़िलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता प्रकट करने के लिये विश्वव्यापी प्रदर्शन

दुनियाभर के विभिन्न शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं, हज़ारों लोग फ़िलिस्तीनी लोगों के समर्थन में सड़कों पर उतर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने गाज़ा पर इज़रायल की बमबारी, बच्चों की हत्या, गाज़ा में अस्पतालों और आवासीय क्षेत्रों पर की गई बमबारी की कड़ी निंदा की है। प्रदर्शनकारियों ने इज़रायल की सरकार द्वारा गाज़ा की क्रूर नाकेबंदी, पानी और बिजली की आपूर्ति में कटौती और गाज़ा में चिकित्सा और अन्य सभी मानवीय सहायता के सभी रास्तों पर नाकाबंदी करने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने, फ़िलिस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़, इज़रायल के क़ब्ज़ाकारी व विस्तारवादी और जनसंहार के अपराधों का समर्थन करने के लिए, अमरीका और अन्य यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों की कड़ी निंदा की है। "फ़िलिस्तीन, हम आपके साथ हैं", "फ़िलिस्तीन अकेला नहीं चलेगा" और "फ़िलिस्तीन को आज़ाद करो" और ऐसे ही कई अन्य नारों के साथ फ़िलिस्तीनी झंडे लहराते हुए सड़कों पर प्रदर्शनकारी देखे जा सकते हैं।

गाज़ा में नागरिकों के जनसंहार की निंदा करते हुए, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, डेनमार्क, आयरलैंड, श्रीलंका और स्वीडन में प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध प्रकट किया। नीदरलैंड के हेग में, स्पेन के बार्सिलोना में, रोम के इटली में, मैक्सिको सिटी में, जापान के टोक्यो में, दक्षिण अफ़्रीका के केप टाउन में हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किये और स्विट्ज़रलैंड के जिनीवा में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के सामने भी हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किये। अमरीका के कोने–कोने में अनेक विश्वविद्यालयों के छात्रों के नेतृत्व में बहुत सारे विरोध प्रदर्शन और रैलियां देखी जा सकती हैं। फ़िलिस्तीन के प्रति अपना समर्थन प्रकट करने के लिए, विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्र, 11 अक्तूबर को दक्षिणी फ़्रांस के शहर टूलूस में एकत्र हुए।

19 अक्तूबर को अमरीकी संसद (कैपिटोल) में प्रदर्शनकारी युद्धविराम की मांग करते हुये

15 अक्तूबर को हुआ अमरीकी विश्वविद्यायलों में छात्रों और शिक्षकों का बड़ा प्रदर्शन

अमरीका के यहूदी प्रदर्शनकारियों का ऐलान "हमारे नाम पर नहीं"

19 अक्तूबर को अपने हाथों में बैनर और प्लेकार्ड लिए हुए सैकड़ों यहूदी प्रदर्शनकारी, अमरीकी सरकार के केंद्र – वाशिंगटन डीसी के कैपिटोल–हिल, जहां अमरीकी विधायिका की बैठक होती है – वहां पर एकत्र हुए और "हमारे नाम पर नहीं" का नारा लगाया और अपनी इस मांग के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए कि अमरीकी कांग्रेस गाज़ा में तुरंत युद्धविराम की मांग करे। प्रदर्शनकारियों ने कैपिटोल बिल्डिंग की ओर जाने वाली मुख्य सड़क को बंद कर दिया और अपनी मांग पूरी होने तक, अपना धरना जारी रखने पर अड़े रहे। पुलिस लाइन को पार करने के आरोप में 300 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ़्तार किया गया। फ़िलिस्तीनी लोगों के समर्थन में, अमरीका और कनाडा के प्रमुख शहरों में 18–20 अक्तूबर को और अनेक विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए।

लंदन, लिवरपूल, मैनचेस्टर और स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग सहित, ग्रेट ब्रिटेन के सभी प्रमुख शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किये गए। इन शहरों में सड़कों पर मार्च करते हुए 1,00,000 से अधिक लोगों ने फ़िलिस्तीनी प्रतिरोध से जुड़े लोगों और इज़रायली सेना के बीच युद्ध में, गाज़ा के साथ–साथ इज़रायल में हजारों निर्दोष लोगों की हत्या को तुरन्त रोकने की मांग की।

मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, जॉर्डन, तुर्की और यमन में हजारों लोग ने सड़कों पर आकर अपना आक्रोश प्रकट किया, गुस्से से भरी भीड़ ने गाज़ा पर इज़रायल के हमलों की कड़ी निंदा की और बड़े–बड़े फ़िलिस्तीनी झंडे लहराए।

फ़्रांस और जर्मनी में, जहां पर फ़िलिस्तीन लोगों के समर्थन में आयोजित विरोध प्रदर्शनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गयी है, इन देशों में भी भारी पुलिस

शेष पृष्ठ 5 पर

## फ़िलिस्तीनी लोगों के समर्थन में

पृष्ठ 4 का शेष

तैनात होने के बावजूद कई विरोध प्रदर्शन दिखने में आये। कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ़्तार भी किया गया।

हिन्दोस्तान में सैकड़ों छात्र और युवाओं ने देशभर में नई दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (ए.एम.यू.) और उत्तर प्रदेश के शहरों, पुणे, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु में अपने नारों के साथ, बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किये, जैसे कि "नरसंहार और क़ब्ज़े को ना कहें"।

गाज़ा पर इज़रायल के भारी हवाई हमले के बाद, हिन्दोस्तान के दक्षिणी राज्य केरल में सैकड़ों स्थानों पर प्रदर्शन हुए हैं। बेंगलुरु, दिल्ली और अन्य स्थानों पर पुलिस

**इराक के बग़दाद शहर में इज़रायली हमलों के ख़िलाफ़ विशाल प्रदर्शन**

ने छात्रों को हिरासत में लिया है, जबकि ए.एम.यू. के छात्रों के ख़िलाफ़, एफ.आई.आर. दर्ज़ की गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस समय चल रहे इजराइल–हमास संघर्ष पर, हिन्दोस्तानी सरकार के क़दम का विरोध करने वाले या सोशल मीडिया पर फ़िलिस्तीन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने वाली गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

फ्रांस और जर्मनी तथा विभिन्न अन्य देशों की सरकारों ने शांति और न्याय के लिए लोगों की आवाज़ को दबाने की जबरदस्त कोशिशें की हैं। हालांकि, वे अपने प्रयासों में विफल रहीं। दुनियाभर के लोग गाज़ा में जनसंहार बंद करने की मांग कर रहे हैं। वे फ़िलिस्तीन पर इज़रायल के क़ब्ज़े को ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं। वे बड़ी बहादुरी से फ़िलिस्तीनी लोगों के अपनी मातृभूमि पर शांति से रहने के मूलभूत अधिकारों के समर्थन में खड़े हैं और इज़रायल के द्वारा किये जा रहे जनसंहार के ख़िलाफ़ भी बहादुरी से खड़े हैं।

http://hindi.cgpi.org/24190

## जनसंहार के लिए अमरीकी समर्थन की निंदा करें!

पृष्ठ 1 का शेष

उचित ठहरा रहा है। वह इसे "आत्मरक्षा के अधिकार" के नाम पर उचित ठहरा रहा है। दुनिया जानती है कि लोगों के घरों, स्कूलों और अस्पतालों पर बम बरसाकर और उन्हें भोजन, पानी, बिजली, चिकित्सा सामग्रियों और अन्य आवश्यक चीजों से वंचित करके, उन्हें निश्चित मौत की ओर धकेलना आत्मरक्षा नहीं है। यह जनसंहार है।

फ़िलिस्तीनी लोगों के किये जा रहे जनसंहार के विरोध में दुनिया के तमाम देशों में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वे एक स्वर में नाकाबंदी और युद्ध को फ़ौरन समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। वे फ़िलिस्तीनी लोगों के एक राष्ट्र बतौर मान्यता प्राप्त करने के अधिकार की लंबे समय से चली आ रही मांग का समर्थन कर रहे हैं।

दुनियाभर के लोग और देश लगातार मांग कर रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध को रोकने के लिए तत्काल क़दम उठाए। लेकिन, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा ऐसा करने के हर प्रयास को अमरीकी साम्राज्यवाद और उसके नाटो सहयोगियों ने बार–बार रोका है।

16 अक्तूबर को रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मानवीय आधार पर तत्काल युद्धविराम का आह्वान करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव को बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, जिबूती, मिस्र, इरिट्रिया, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, माली, मलेशिया, मॉरिटेनिया, मालदीव, निकारागुआ, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, सूडान, तुर्की, वेनेजुएला, यमन और ज़िम्बाब्वे सहित कुछ अन्य देशों ने, रूस के साथ मिलकर, पेश किया था। प्रस्ताव के मसौदे में सभी बंधकों की रिहाई, गाज़ा के लोगों के लिए मदद की उपलब्धि और नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकलने का आह्वान किया गया। अमरीका और सुरक्षा परिषद के तीन अन्य सदस्यों – ब्रिटेन, फ्रांस और जापान – ने प्रस्ताव के ख़िलाफ़ मतदान किया। सुरक्षा परिषद के पांच सदस्यों – चीन, गैबॉन, मोज़ाम्बिक, रूस और संयुक्त अरब अमीरात ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि 6 सदस्य अनुपस्थित रहे। प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि पश्चिमी देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने सुरक्षा परिषद द्वारा हिंसा को समाप्त करने की दुनिया की उम्मीदों पर "पानी फेर दिया"।

संयुक्त राष्ट्र संघ में फ़िलिस्तीन के स्थायी पर्यवेक्षक ने सुरक्षा परिषद से "बिना किसी अपवाद के" अंतरराष्ट्रीय क़ानून के असूलों से मार्गदर्शित होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि "यह संदेश न भेजें कि फ़िलिस्तीनी जीवन कोई मायने नहीं रखते। यह कहने की हिम्मत मत कीजिए कि इज़रायल फ़िलिस्तीनियों पर गिराए जा रहे बमों के लिए ज़िम्मेदार नहीं है।" उन्होंने कहा कि गाज़ा में जो हो रहा है वह कोई सैनिक कार्यवाही नहीं है, बल्कि वहां के लोगों के ख़िलाफ़ संपूर्ण हमला और बेक़सूर नागरिकों का जनसंहार है। उन्होंने कहा, "गाज़ा में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। परिवार के सदस्य हर रात गले मिलते हैं, यह सोचकर कि शायद यह आखिरी बार मिल रहे हैं।"

18 अक्तूबर को, ब्राजील द्वारा पेश किए गए युद्ध पर एक नए प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद में मतदान के लिए रखा गया। प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और उनके सहयोगियों के लिए पूर्ण, सुरक्षित और निर्बाध पहुंच की अनुमति देने के लिए मानवीय आधार पर युद्ध में थोड़े समय के लिए ठहराव का आह्वान किया गया। यह युद्ध समाप्त करने का आह्वान नहीं था, बल्कि सिर्फ गाज़ा के निवासियों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए कुछ समय का युद्ध विराम आयोजित करने का आह्वान था। इसमें सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई और अंतरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून के अनुसार सभी चिकित्सा कर्मियों और मानवीय सहायता कर्मियों के साथ–साथ, अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं की सुरक्षा का आह्वान किया गया था। 12 देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया और दो अनुपस्थित रहे। इस प्रस्ताव को पारित होने से रोकने के लिए अमरीका ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया।

संयुक्त राष्ट्र संघ में अमरीका के स्थायी प्रतिनिधि ने मानवीय आधार पर युद्ध में थोड़े समय के लिए ठहराव के आह्वान के इस प्रस्ताव से अपने विरोध को इस तर्क के साथ उचित ठहराया कि यह प्रस्ताव स्पष्ट रूप से इज़रायल के "आत्मरक्षा के अधिकार" का समर्थन नहीं करता है। इससे पता चलता है कि अमरीका इज़रायल द्वारा छेड़े गए जनसंहार–युद्ध का पूरा समर्थन करता है। जबकि इसे 'आत्मरक्षा' बताया जा रहा है, अमरीका फ़िलिस्तीनी लोगों के एक राष्ट्र बतौर जीने के अधिकार की रक्षा नहीं करता है।

अमरीका ने मीडिया पर अपने वर्चस्व के ज़रिये, झूठे प्रचार का अभियान चलाया है। दुनिया के जो लोग फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ इज़रायल के जनसंहार–युद्ध की निंदा कर रहे हैं, उन्हें यहूदी–विरोधी कहकर उनकी निंदा की जा रही है। झूठे प्रचार के इस अभियान में जानबूझकर इस बात को छिपाया जा रहा है कि अमरीका और अन्य देशों में कई यहूदी लोग इज़रायल के जनसंहार–युद्ध के विरोध में, "मेरे नाम पर नहीं!" का नारा देकर, सड़कों पर उतर रहे हैं और फ़िलिस्तीनियों के अपनी मातृभूमि के अधिकार की हिफ़ाज़त कर रहे हैं। यह झूठा प्रचार अभियान फ़िलिस्तीनी लोगों को, जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, समस्या के स्रोत के रूप में बदनाम करता है जबकि इज़रायल को पीड़ित के रूप में दर्शाता है। फ़िलिस्तीनी मुक्ति योद्धाओं पर तरह–तरह के अपराधों के झूठे आरोप लगाये जे रहे हैं, जो बाद में फ़र्ज़ी साबित हो रहे हैं।

दुनिया के लोगों को यह स्पष्ट समझ में आ रहा है कि फ़िलिस्तीनी लोगों के जनसंहार के लिए अमरीका ज़िम्मेदार है। अमरीका ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में अपने साम्राज्यवादी हितों की रक्षा करने और उन्हें आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, इज़रायल को पूरी तरह से हथियारों से लैस किया है। इस उद्देश्य से, अमरीका ने 75 साल पहले, इज़रायल राज्य की स्थापना के दिनों से ही, फ़िलिस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ इज़रायल के सभी नाजायज़ कारनामों की हिफ़ाज़त करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी वीटो शक्ति का उपयोग किया है।

अमरीका एक ऐसा रास्ता अपना रहा है जो इज़रायलियों, फ़िलिस्तीनियों और पश्चिम एशिया क्षेत्र के अन्य सभी लोगों के लिए विनाशकारी है। अमरीका के सैन्य औद्योगिक परिसर के एक प्रमुख सदस्य, लॉकहीड मार्टिन कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेम्स टैसलेट ने अमरीकी नीति को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया : "इज़रायल को किसी भी सैन्य कार्रवाई से रोकने का कोई फ़ायदा नहीं है। ..., कुछ ऐसे विवाद होते हैं जिन्हें हथियारों के बल से हल करने की ज़रूरत होती है और हम ये हथियार प्रदान करने के लिए तैयार हैं।"

हिन्दोस्तान के लोग इस युद्ध और गाज़ा की नाकाबंदी को तत्काल समाप्त करने की मांग करने में, दुनिया के अन्य देशों के लोगों के साथ एक हैं। फ़िलिस्तीनी लोगों के अपने अस्तित्व का अधिकार एक अति–जायज़ अधिकार है। इज़रायल, फ़िलिस्तीन और पश्चिम एशिया क्षेत्र के अन्य देशों के लोगों के लिए स्थायी शांति सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीक़ा संयुक्त राष्ट्र संघ के, फ़िलिस्तीनी लोगों के अधिकारों की हिमायत करने वाले, प्रस्तावों को लागू करना है। इनमें शामिल है यह प्रस्ताव कि इज़रायल फ़िलिस्तीनी इलाकों से हटकर 1967 से पहले की अपनी सीमाओं पर वापस चला जाए, एक फ़िलिस्तीनी राज्य का निर्माण किया जाये जिसकी राजधानी पूर्वी यरुशलम में हो, क़ब्ज़ा किए गए क्षेत्रों से इज़रायली बस्तियों को हटाया जाए और सभी फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों को अपनी मातृभूमि में लौटने का अधिकार दिया जाए।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी फ़िलिस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ इज़रायल द्वारा शुरू किये गये जनसंहार–युद्ध को जानबूझकर लम्बा खींचने के ज़िम्मेदार अमरीकी साम्राज्यवादियों की निंदा करती है। अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय स्थापित किये गए सभी असूलों के प्रति अपनी पूरी अवमानना दर्शायी है। अमरीका एक ऐसे रास्ते पर चल रहा है जो दुनिया के लोगों के लिए बड़े–बड़े ख़तरों से भरा हुआ है ।

**अपनी मातृभूमि के लिए फ़िलिस्तीनी लोगों का जायज़ संघर्ष ज़िंदाबाद!**

http://hindi.cgpi.org/24188


**बैंकों का विलय और निजीकरण**

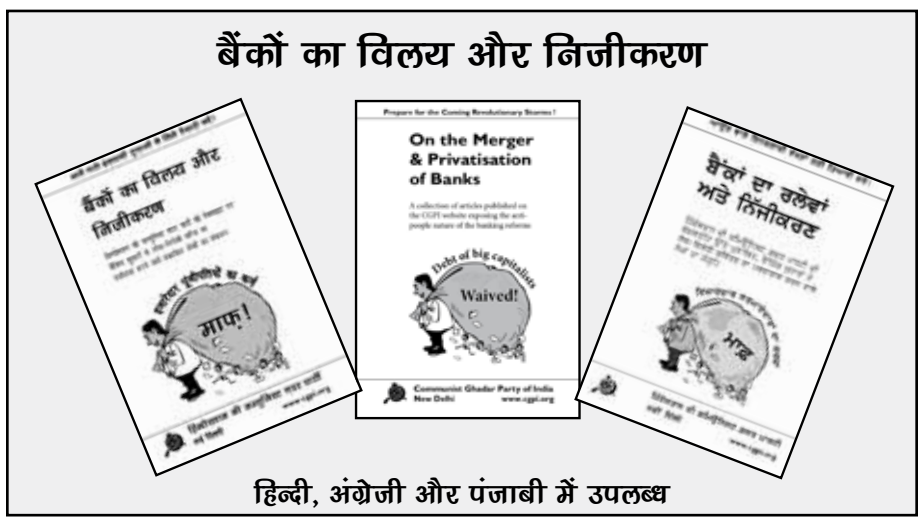


**हिन्दी, अंग्रेजी और पंजाबी में उपलब्ध**

# मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अखबार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23
LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT U (SE)-38/2022-23
Posting Date at DLPSO, 1 & 2 Nov, 2023, Date of publish - 1 Nov, 2023


To
.....
.....
.....
.....
.....
.....


स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक– मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020
email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911


**अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :**
**ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020**

WhatsApp
9868811998

# 15 अक्तूबर को गुरूग्राम–जयपुर एक्सप्रेसवे को बंद किया गया

**हरियाणा के किसान अपने हक़ों की मांगों के लिये दृढ़ता से डटे हैं**

हरियाणा के 15 गांवों के 3,000 से अधिक किसानों ने हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (एच.एस.आई.आई.डी.सी.) द्वारा अधिग्रहित उनकी 1,800 एकड़ से अधिक भूमि के लिए उचित मुआवज़े की मांग करते हुए 15 अक्तूबर को रविवार के दिन गुरुग्राम–जयपुर एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया।

किसान पिछले 200 दिनों से अपनी मांग के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं। एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा उनके दावों को पूरा करने से इनकार करने पर, किसानों ने राज्य सरकार को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से राजमार्ग को बंद करने का फ़ैसला किया। किसानों के अनुसार, ज़मीन की बाज़ार दर 10 करोड़ रुपये प्रति एकड़ से अधिक है, लेकिन सरकार उन्हें प्रति एकड़ केवल 91

लाख रुपये (55 लाख रुपये का आधार मूल्य और ब्याज) दे रही है।

सरकार अब तक समस्या के समाधान के लिए खोखले वादे करती आई है। किसानों को अपने मुआवज़े से सहमत कराने के लिए सरकार ने प्रभावित किसानों के लिए नौकरियों जैसे प्रलोभनों का प्रस्ताव भी रखा है, लेकिन अभी तक नौकरियां नहीं दी गयी हैं।

दिनभर राजमार्ग पर नाकाबंदी करने के बाद, शाम को किसानों ने नाकाबंदी हटा ली। उन्होंने घोषणा की कि वे अपनी भूमि के लिए पर्याप्त मुआवज़े और दूसरी जगह पर भूमि के अतिरिक्त प्लाटों के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे।

यह एक सच्चाई है कि केंद्र या राज्य की सरकारों द्वारा किसानों को "सार्वजनिक उद्देश्य" के लिए अधिग्रहित उनकी भूमि के लिए उचित मुआवज़े की शर्तों को कभी पूरा नहीं किया जाता है, न ही इस प्रकार से विस्थापित लोगों को कभी वादानुसार रोज़गार ही दिए जाते हैं। हरियाणा के किसानों द्वारा किया जा रहा संघर्ष देशभर के किसानों की आजीविका और अधिकारों की रक्षा के संघर्ष का हिस्सा है।

http://hindi.cgpi.org/24197

# लंबे संघर्ष के बाद आशा कार्यकर्ताओं को वेतन में बढ़ोतरी मिली

हरियाणा में आशा कार्यकर्ताओं को दो महीने से अधिक के लगातार संघर्ष के बाद उनके मासिक वेतन में 2,100 रुपये की वृद्धि की घोषणा से कुछ राहत मिली। इस बढ़ोतरी से उनकी मासिक आय 6,100 रुपये हो गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 19 अक्टूबर को आशा प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान बढ़ोतरी को मंजूरी दी और वादा किया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय बढ़ोतरी के संबंध में आशा कार्यकर्ताओं को पत्र भेजेगा। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 2 लाख रुपये के सेवानिवृत्ति लाभ की भी घोषणा की।

26,000 रूपए का न्यूनतम मासिक वेतन, सरकारी कर्मचारी का दर्जा, स्वास्थ्य लाभ के साथ–साथ सेवानिवृत्ति और सामाजिक सुरक्षा लाभ सहित अपनी लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर पूरे हरियाणा में लगभग 20,000 आशा कार्यकर्ता 8 अगस्त से हड़ताल पर थीं। 70 दिनों से अधिक की इस अवधि के दौरान, उन्होंने अपनी मांगों के लिए विभिन्न जिला मुख्यालयों के बाहर आंदोलन, कैंडल मार्च और साथ ही घर–घर जाकर अभियान चलाया है। इस संघर्ष के दौरान उन्होंने चंडीगढ़ में राज्य विधानमंडल के सामने प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा क्रूर हमलों, अपने नेताओं की हिरासत और अमानवीय उत्पीड़न का सामना किया है।

मंगलवार, 17 अक्टूबर को यूनियन ने राज्य सरकार द्वारा उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने में विफलता के विरोध में अगले दिन हरियाणा के मंत्रियों के आवासों के बाहर 24 घंटे के धरने का आह्वान किया था। मुख्यमंत्री द्वारा उनसे मिलने का अपना वादा तोड़ने की स्थिति में आशा कार्यकर्ताओं ने पहले ही अपनी हड़ताल 20 अक्टूबर तक बढ़ाने की घोषणा कर दी थी।

आशा कार्यकर्ता सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के मुख्य आधारों में से एक हैं। वे प्रसव के पहले और प्रसव के बाद देखभाल, टीकाकरण, पोषण आदि से संबंधित सेवाओं के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप–केंद्रों और जिला अस्पतालों जैसी सुविधाओं के साथ समुदायों को जोड़ने का कार्य करते हुए एक साथ कई काम करते हैं। वे गर्भवती महिलाओं की आपातकालीन स्थितियों में साथ रहने के लिए दिन या रात के किसी भी समय उन्हें बुलाया जाता हैं। जब उन्हें कोविड महामारी के दौरान ड्यूटी के लिए बुलाया गया था, तब उन्होंने खुद को संक्रमण के ख़तरे में डालकर अपनी ड्यूटी पूरी की और एक मुख्य भूमिका निभाई। इन सबके बावजूद राज्य में पिछले पांच साल से आशा कार्यकर्ताओं के भत्ते में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि उनका काम कई गुना बढ़ गया है ।

जिस वेतन वृद्धि की घोषणा की गई है वह आशा कार्यकर्ताओं द्वारा उचित रूप से मांग की गई 26,000 रूपए की न्यूनतम मज़दूरी से काफी कम है। वे स्थायी राज्य सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने के पात्र हैं और उन्हें "स्वयंसेवक" जिसे वेतन प्रोत्साहन के लिए मिल रहा है, इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें नियमित रूप से अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बाध्य किया जाता है। अनुभव से पता चलता है कि उनकी सेवाएं समुदाय के लिए बहुमूल्य हैं और राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा स्थापित कई सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हैं।

http://hindi.cgpi.org/24209

**हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का नया प्रकाशन**

हिन्दी, अंग्रेजी, पंजाबी, मराठी एवं तमिल में उपलब्ध
**मूल्य 50 रुपये (डाक खर्च के लिये 30 रुपये अलग से भेजें)**

प्राप्त करने के लिये संपर्क करें :
लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स
ई–392, संजय कालोनी, ओखला फेस–2,
नई दिल्ली – 110020,
**फोन : 09810167911, वाट्सएप नम्बर 9868811998**

UPI कोड से पेमेंट करें